पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–11/2020 ज॰स॰– 107

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 11/11/2020

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 421.750 लाख (रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 77/12.02.2018; 73/11.01.2018; 01/20.04.2018; 04/21.04.2017; 70/28.12.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**470200101200545	**421.750**
आवंटित राशि – रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हजार मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष **2020–21** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 2000.00 लाख (**बीस करोड बीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि योजना–सह–विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक–2018, दिनांक–04.11.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 50% की राशि के अन्तर्गत है।
5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

10/11/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 107 रॉची, दिनांक :– 11/11/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/पलामू/मेदिनीनगर/हुसैनाबाद/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

10/11/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 107 रॉंची, दिनांक :– 11/11/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार दास)	10/11/20 (प्रशांत कुमार)
उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	सचिव

विभागीय पत्रांक ......107...... दिनांक ....11/11/2020.... का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2020–21) – रूपये 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़) मात्र
विपत्र कोड– **50S470200101200545**

(राशि लाख रूपये में)

क्र.		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	पलामू	विश्रामपुर	छीपा दोहर म0सिं0यो0 का जीर्णोद्धार कार्य	77/2017-18 dt. 12.02.2018	23.350	2162/ 13.02.2018	22.050	20.968	0.000	1.100	1.100	22.068	56134	
2	2			नावाबाजार	बनौधा म0सिं0यो0 का जीर्णोद्धार कार्य		65.531		52.178	38.906	0.000	13.500	13.500	52.406		
योग :–							**88.881**	**0.000**	**74.228**	**59.874**	**0.000**	**14.600**	**14.600**	**74.474**		
3	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग	कटकमसांडी	दक्षिणवारा छठ तालाब का जीर्णो0	73/2017-18 dt. 11.01.2018	51.990	1911/ 11.01.2018	54.106	51.990	0.000	2.447	2.447	54.437	**56160**	
4	2			सदर	जोड़ा आहर का जीर्णो0	77/2017-18 dt. 12.02.2018	53.120	2162/ 13.02.2018	44.880	38.257	0.000	7.975	7.975	46.232	**56141**	
5	3			पदमा	हरमबार म0सिं0यो0 का जीर्णो0		53.078		47.193	26.920	0.000	19.986	19.986	46.906		
6	4			चौपारण	खैरा आहर का जीर्णोद्धार		63.417		56.070	54.270	0.000	1.500	1.500	55.770		
7	5				कोरियाडीह आहर का जीर्णोद्धार		140.573		119.293	87.344	0.000	0.783	0.783	88.127		
8	6			बरही	केवाल मध्यम सिंचाई योजना	01/2018-19 dt. 20.04.2018	134.336	194/ 20.04.2018	119.400	77.290	0.000	37.781	37.781	115.071	**56163**	
योग :–							**496.514**		**440.942**	**336.071**	**0.000**	**70.472**	**70.472**	**406.543**		

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	रामगढ़	रामगढ़	गड़के मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	04/2017-18 dt 21.04.2017	114.048	448/ 02.05.2017	108.663	108.289	0.000	10.784	10.784	119.073	56166	
10	2		रामगढ़	गोला	मरूआजारा आहर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		65.607		65.345	57.577	0.000	8.341	8.341	65.918		
11	3		हजारीबाग	डारी	सेवईयागढ़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		169.052		150.485	141.530	0.000	1.681	1.681	143.211		
12	4		हजारीबाग	विशनुगढ़	तिलाई बांध का जीर्णो0		22.712		20.639	0.000	0.000	12.943	12.943	12.943		
13	5		हजारीबाग	विष्णुगढ़	रामसागर बांध का जीर्णो0	70/2017-18 dt 28.12.2017	136.687	1834/ 02.01.2018	124.294	109.675	0.000	14.598	14.598	124.273	56168	
14	6		रामगढ़	चितरपुर	गोसाई तालाब का जीर्णो0	73/2017-18 dt. 11.01.2018	49.546	1911/ 11.01.2018	40.046	45.225	0.000	4.076	4.076	49.301	56162	
15	7		हजारीबाग	डारी	भुकभुकिया डैम आहर का जीर्णो0	77/2017-18 dt 12.02.2018	126.990	2162/ 13.02.2018	112.741	0.000	0.000	82.340	82.340	82.340	56146	
16	8		हजारीबाग	विशनुगढ़	अलकोपी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		70.192		60.967	36.747	0.000	13.624	13.624	50.371		
17	9		हजारीबाग	विशनुगढ़	अलपितो बड़की तालाब म0सिं0यो0 का जीर्णो0		133.708		121.032	64.352	0.000	5.710	5.710	70.062		
18	10		रामगढ़	गोला	बगजोबरा म0सिं0यो0 का जीर्णो0	01/2018-19 dt. 20.04.2018	127.919	194/ 20.04.2018	110.895	89.800	0.000	16.488	16.488	106.288	56164	
योग :–							**1,016.461**		**915.107**	**653.195**	**0.000**	**170.585**	**170.585**	**823.780**		
19	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो	चास	मनिया बाँध म0सिं0यो0 का जीर्णो0	01/2018-19 dt. 20.04.2018	269.717	194/ 20.04.2018	285.366	139.300	0.000	118.277	118.277	257.577	56165	
20	2			पेटरवार	अम्बागढ़ा म0सिं0यो0 का जीर्णो0		35.080		31.262	12.780	0.000	12.877	12.877	25.657		
21	3			चन्दनक्यारी	मस्तराम बांध का जीर्णो0	04/2017-18 dt 21.04.2017	43.788	448/ 02.05.2017	38.853	10.000	0.000	27.995	27.995	37.995	56167	
22	4				लालू बांध का जीर्णो0	77/2017-18 dt 12.02.2018	47.154	2162/ 13.02.2018	41.331	30.880	0.000	6.944	6.944	37.824	56150	
योग :–							**395.739**		**396.812**	**192.960**	**0.000**	**166.093**	**166.093**	**359.053**		
सकल योग :–							**1,997.595**		**1,827.089**	**1,242.100**	**0.000**	**421.750**	**421.750**	**1,663.850**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

107
11/11/2020

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

10/11/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव